



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 606) पटना, बृहस्पतिवार, 15 जुलाई 2021

IE 3@,e0 12@2021&7095@lk0i.0
सामान्य प्रशासन विभाग

Idyi

15 जुलाई 2021

विषय :- बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय सम्मर्गों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत के बन्धेज के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में।

समाहरणालय लिपिकीय सेवा नियमावली सहित विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवाओं की नियमावलियों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के संदर्भ में समरूप प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. उक्त विषय के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न लिपिकीय सम्मर्गों के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में निम्नवत् प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया जाता है—

- (i) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।
परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अध्याचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।
- (ii) यदि किसी प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी लिपिकीय सेवा/संवर्ग की नियमावली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी उपर्युक्त उप कंडिका—(i) से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे।
- (iii) संबंधित नियमावली में उपर्युक्त उप कंडिका—(i) के अनुरूप संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में संशोधन इस संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त उप कंडिका—(i) का प्रावधान ही लागू समझा जायेगा।

3. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश—

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
चंचल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 606-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>